



मोदी की गारंटी विष्णु का सुशासन



हमने बनाया है
हम ही संवारेंगे

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

महतारी वंदन योजना

पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष

₹ 12,000

देखिए आवेदन फार्म कैसे भरे ?



- महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना क्रियान्वित है
- यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जा रही है
- योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा

योजनानंतर पात्रता

- विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो
- आवेदन के कलेपडर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी योजना के लिए पात्र होंगी

हितग्राही को दी जाने वाली सहायता

- पात्र महिला को रुपये 1000/- प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा
- सामाजिक सहायता कार्यक्रम/विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रु. 1000/- से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा

आवेदन करने का माध्यम

योजना के ऑनलाइन पोर्टल

(<https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in>)

तथा मोबाइल एप द्वारा आवेदन निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे-

- आंगनबाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से
- ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से
- बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से
- आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे
- नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से

संख्या-39557/84

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

- स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज़ फोटो
- स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़। (निवास प्रमाण-पत्र/ राशन कार्ड/ मतदाता पहचान-पत्र/ आधार कार्ड)
- स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड
- स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। (यदि हो तो)
- महिला के विवाहित होने की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज़-विवाह प्रमाण पत्र/ राशन कार्ड/ आधार कार्ड/ मतदाता परिचय पत्र/ निवास प्रमाण पत्र/ ग्राम पंचायत या वार्ड पार्श्व द्वारा जारी प्रमाण पत्र। यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है
- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- परित्यक्ता/ तलाकशुदा होने की स्थिति में समाज द्वारा / वार्ड/ ग्राम पंचायत/ न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र/ कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची/ स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/ पैन कार्ड/ आधार कार्ड/ मतदाता परिचय-पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस। (कोई एक)
- पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की घायाप्रति
- स्व-घोषणा शपथ पत्र (आवेदन के साथ संलग्न)
- यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नंबर न हो तो राशन कार्ड जमा किया जावे

श्री विष्णु देव साय

माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

Visit us : [f ChhattisgarhCMO](#) [X ChhattisgarhCMO](#) [@ ChhattisgarhCMO](#) [o ChhattisgarhCMO](#) [DPRChhattisgarh](#) [DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)



छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

* स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक व मुद्रक दीपक कुमार बुद्धदेव द्वारा स्वस्तिक ऑफिसेट एण्ड स्क्रीन प्रिंटर्स, बल्लेवाला रोड, राजनांदगांव से मुद्रित कर प्रकाशित। सम्पादक दीपक कुमार बुद्धदेव।

* समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। * किसी भी विवाद की स्थिति में व्यायिक क्षेत्र राजनांदगांव रहेगा। फोन नं. - 07744-406631 e-mail : dainikdawa_rjn@yahoo.com